

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2016



जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं जन साधारण के परिवादों का राज्य स्तर पर निराकरण करने की दृष्टि से इस विभाग की स्थापना जुलाई, 1971 में की गई थी। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को रखा गया है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है।

1. जन अभियोग निराकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था :-

विभाग की अधिकारिता अधिसूचना संख्या: एफ-2(20)जीए/ए/71 दिनांक 26.07.1971, 24.09.1971 तथा 13.03.1972 द्वारा परिभाषित की गई है जिन के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैं:-

1. आम जनता/जन साधारण से प्राप्त होने वाली जन समस्याएँ जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें, अतिक्रमण आदि इस विभाग की परिधि में आते हैं।
2. सरकारी कर्मचारियों की समस्याएँ जैसे :-
 - क सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया गया हो।
 - ख पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) के मामले।
 - ग तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
 - ध सेवा निवृत्त, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
 - ड सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।
2. राज्य से संबन्धित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें भी इस विभाग में प्राप्त होती हैं, जिसका निस्तारण इस विभाग द्वारा किया जाता है।

3. शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। इनके अतिरिक्त नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवायें, विशेष योग्यजन तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणोंपरान्त किया जाता है।
4. महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित जन सुनवाई में उन्हें प्राप्त अभ्यावेदनों को निराकरणार्थ जन अभियोग निराकरण विभाग को भिजवाया जाता है। इस विभाग द्वारा राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की जाती है, ताकि उनका निराकरण हो सके जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास कायम रहें।
5. यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोदाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्य के सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते हैं।
6. इस विभाग में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि में 14520 पत्रादि प्राप्त हुए जिन्हें राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभागों को कार्यवाही हेतु ऑन लाईन दर्ज करवाया गया। विभाग द्वारा 13085 परिवादों/पत्रों को मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को भिजवाया गया तथा 1237 परिवादों/पत्रों पर कार्यवाही की गई। विभाग में कार्यवाही हेतु 198 नई पत्रावलियां खोली जाकर सम्बन्धित शासन सचिवों / विभागाध्यक्षों से तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई है। दिनांक 31.12.2015 को विभाग में 130 परिवाद लम्बित थे, 198 नई खोली गई पत्रावलियों को मिलाकर कुल 328 परिवादों में से 150 परिवादों का पूर्णरूपेण

निस्तारण कराकर बंद कराये गये। दिनांक 31.12.2016 को 178 परिवाद शेष रहे।
(विवरण परिशिष्ट – I में उपलब्ध)

7. जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियां

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निवारण हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति स्थापित की हुई है। विभिन्न जिलों में इन कार्यरत जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान कुल 347 बैठकें आयोजित की गईं। इस अवधि में विभिन्न जिलों में समितियों द्वारा 2077 नये प्रकरण दर्ज किये गये जिससे पूर्व में बकाया 390 प्रकरणों को मिलाकर कुल 2467 प्रकरण हो गये जिनमें से समितियों द्वारा 2059 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
(विवरण परिशिष्ट – II में उपलब्ध)

8. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रकरणों/परिवादों का ऑन लाईन पंजीयन व निस्तारण

माननीय मुख्य मंत्री जी के परिवर्तित बजट भाषण वर्ष 2014-15 (पैरा 190) में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को कार्यान्वित एवं क्रियाशील किया गया है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवादी दूरभाष पर, मेल द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर अपना परिवाद दर्ज करवा सकता है और कार्यवाही की प्रगति भी देख सकता है। इस हेतु परिवादी को एक यूनिक पंजीयन संख्या दी जाती है जिससे वे अपने परिवाद की वर्तमान स्थिति ऑन लाईन देख सकते हैं दिनांक 31-12-2016 तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कुल 423271 परिवाद दर्ज हो चुके हैं जिनमें से 349786 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा 73485 परिवाद लम्बित हैं। इन लम्बित परिवादों पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। (विवरण परिशिष्ट – III में उपलब्ध)

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक सम्पादित कार्यों का वार्षिक विवरण

| वर्ष के आरम्भ में लम्बित पत्रादि की संख्या | वर्ष में प्राप्त पत्रादि की संख्या | योग | वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या | | | वर्ष के अन्त में लम्बित पत्रादि की संख्या | वर्ष के आरम्भ में लम्बित पत्रावलियों/परिवादों की संख्या | कुल योग कालम (6 व 8) | वर्ष में निस्तारित पत्रावलियों/परिवादों की संख्या | वर्ष समाप्ति पर लम्बित पत्रावलियों/परिवादों की संख्या |
|--|------------------------------------|-------|---|--|---|---|---|----------------------|---|---|
| | | | राज0 स0 पो0 पर ऑन लाईन कराकर मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्रों की संख्या | विभागीय पत्रावलियों पर कार्यवाही किये गये पत्रों की संख्या | पत्रों की संख्या जिन पर नई पत्रावलियां खोली गईं | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | 14520 | 14520 | 13085 | 1237 | 198 | — | 130 | 328 | 150 | 178 |

जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा सम्पादित कार्यो
का विवरण (01.01.2016 से 31.12.2016)

| क्र. स. | जिले का नाम | बैठकों की संख्या | पूर्व बकाया अभियोगों की संख्या | प्राप्त अभियोगों की संख्या | कुल योग कालम (4 व 5) | निस्तारित अभियोगों की संख्या | शेष अभियोगों की संख्या |
|---------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अजमेर | 11 | 10 | 97 | 107 | 102 | 5 |
| 2 | अलवर | 11 | 8 | 44 | 52 | 46 | 6 |
| 3 | बांसवाड़ा | 11 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | बारां | 11 | 15 | 38 | 53 | 45 | 8 |
| 5 | बाड़मेर | 11 | 3 | 22 | 25 | 15 | 10 |
| 6 | भरतपुर | 11 | 17 | 170 | 187 | 174 | 13 |
| 7 | भीलवाड़ा | 11 | 18 | 50 | 68 | 62 | 6 |
| 8 | बीकानेर | 11 | 28 | 26 | 54 | 47 | 7 |
| 9 | बून्दी | 11 | 11 | 19 | 30 | 13 | 17 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 10 | 13 | 14 | 27 | 17 | 10 |
| 11 | चूरु | 09 | 6 | 21 | 27 | 12 | 15 |
| 12 | दौसा | 11 | 22 | 28 | 50 | 34 | 16 |
| 13 | धौलपुर | 11 | 17 | 135 | 152 | 141 | 11 |
| 14 | डूंगरपुर | 11 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| 15 | हनुमानगढ़ | 11 | 8 | 66 | 74 | 72 | 2 |
| 16 | जयपुर | 08 | 16 | 97 | 113 | 96 | 17 |
| 17 | जैसलमेर | 10 | 31 | 49 | 80 | 71 | 9 |
| 18 | जालोर | 10 | 12 | 24 | 36 | 22 | 14 |
| 19 | झालावाड़ | 11 | 24 | 39 | 63 | 48 | 15 |
| 20 | झुन्झुनू | 11 | 13 | 85 | 98 | 93 | 5 |
| 21 | जोधपुर | 09 | 1 | 122 | 123 | 75 | 48 |
| 22 | करौली | 09 | 10 | 56 | 66 | 32 | 34 |
| 23 | कोटा | 11 | 1 | 76 | 77 | 69 | 8 |
| 24 | नागौर | 07 | 14 | 28 | 42 | 32 | 10 |
| 25 | पाली | 11 | 11 | 167 | 178 | 167 | 11 |
| 26 | प्रतापगढ़ | 12 | 8 | 13 | 21 | 17 | 4 |
| 27 | राजसमन्द | 11 | 6 | 50 | 56 | 45 | 11 |
| 28 | सवाई माधोपुर | 11 | 8 | 81 | 89 | 73 | 16 |
| 29 | सीकर | 10 | 4 | 140 | 144 | 134 | 10 |
| 30 | सिरोही | 11 | 8 | 31 | 39 | 35 | 4 |
| 31 | श्रीगंगानगर | 11 | 9 | 126 | 135 | 114 | 21 |
| 32 | टोंक | 11 | 8 | 93 | 101 | 90 | 11 |
| 33 | उदयपुर | 11 | 13 | 56 | 69 | 53 | 16 |
| योग:- | | 347 | 390 | 2077 | 2467 | 2059 | 408 |

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक "राजस्थान सम्पर्क पोर्टल"
पर दर्ज परिवादों/प्रकरणों का विवरण

| क्र. सं. | विभाग | प्राप्त प्रकरणों की संख्या | निस्तारित प्रकरणों की संख्या | लम्बित प्रकरणों की संख्या |
|----------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला कलेक्टर्स | 77549 | 62515 | 15034 |
| 2 | विभागाध्यक्ष | 345722 | 287271 | 58451 |
| कुल:- | | 423271 | 349786 | 73485 |